न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
13/23	एफएसएस एक्ट, 2006	21/08/2023

1. बाबूलाल तनाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. मुरारी लाल गर्ग पुत्र श्री कपूर चन्द मालपानी (प्रोपराईटर) मैसर्स हजारी लाल कपूर चन्द चौपड़ बाजार गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर निवासी दौना पत्तल गली , खारे कुआं के पास गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 30.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 17.01.2023 को सायः 05.00 पी.एम पर चोपड बाजार गंगापुरसिटी स्थित मैसर्स हजारी लाल कपूर चन्द पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम मुरारी लाल गर्ग पुत्र कपूर चन्द मालपानी होना बताया एवं फर्म का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। मुरारी लाल ने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र, वेट प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दिखाया जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पान मसाला (अम्बर) रखी हुई थी। पान मसाला (अम्बर) में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 2 किलोग्राम वजनी 16 पैकट्स खरीदकर उसकी कीमत 1384/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान अंकित सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम वजनी 16 पैकिट्स पान मसाला (अम्बर) को मूल ही लेकर 04 भाग बनाकर प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक ह–2573 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ह–2573 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर

अतिरिक्त जिला ... गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एव गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मुरारी लाल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री मुरारीलाल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर मे सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/199 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/128/एक्ट/2023/212 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर) मिसब्रांड फूड अंडर सेक. (3) (जेडएफ) (सी)(ई) ऑफ़ फूड सेफ्टी – स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा मिसब्राण्ड पान मसाला (अम्बर) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 106 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना द्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड पान मसाला (अम्बर) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 106 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना द्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त से पान मसाला (अम्बर) का सैम्पल लिया गया था वह खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के मुताबिक नहीं लिया गया था। नमूने की जांच एनालिस्ट कोटा द्वारा सैम्पल लिये जाने के करीब 8 दिन बाद दिनांक 25.01.2023 को की गई थी इस दौरान सैम्पल कौनसी जगह पर कितने तापमान किन परिस्थितियों में रखा गया इसका हवाला फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। अभियुक्त पान मसाला (अम्बर) का निर्माता नहीं है वह

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

जो केवल पान मसाले का विक्रेता है। आवेदक द्वारा पान मसाला निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, साथ ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएफ/128/एफ्ट/2023/212 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पान मसाला (अम्बर) मिसब्रांड फूड अंडर सेक. (3) (जेडएफ) (सी)(ई) ऑफ फूड सेफ्टी – स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 प्रकृति का होना पाया गया है।यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था तथा अभियुक्त ने अपनी बहस में अंकित किया है कि निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस संबंध में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्रांक एफएसएसए/2023/646 दिनांक 20.04.2023 द्वारा अभियुक्त से क्रय बिल की सूचना चाही गई थी। जो अभियुक्त द्वारा .क्रय बिल नहीं होना अवगत कराया है। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को बीस हजार (20,000) रूपये की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested